प्रैस विज्ञप्ति

दिनांकः 23.10.2020

चोरी की घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों को स्वाट टीम व थाना पहासू पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर मुठभेड़ के उपरान्त चोरी के एक मोबाईल फोन, 02 चैन पीली धातु, 2000 रूपये की नकदी एवं अवैध असलहा मय कारतूस सहित किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी शिकारपुर श्री गोपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 22/23.10.2020 की रात्रि में थानाप्रभारी पहासू श्री मुकेश कुमार मय फोर्स के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 10/11.10.2020 की रात्रि में ग्राम अजीजाबाद में हुई चोरी की घटना में संलिप्त कुछ अभियुक्तगण पंड्रावल की तरफ से पुनः किसी घटना करने के इरादे से आने वाले हैं जिनके पास अवैध असलहा भी है। इस सूचना पर स्वाट टीम में नियुक्त उ0नि0 अजय दीप व उ0नि0 धीरज राठी मय टीम के इन्हीं अभियुक्तों की तलाश/सुरागरसी करते हुए आ गए। दोनों पुलिस टीम गांव कुंवरपुर को जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे झाड़ियों की आड़ में छिपकर अभियुक्तों के आने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद पंड्रावल की तरफ से कुछ व्यक्तियों की आने की आहट सुनाई दी जिनको पुलिस टीम द्वारा आवाज लगाकर रुकने को कहा गया तो अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। दोनों पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर घेराबंदी कर मौके से दो अभियुक्तों को चोरी के एक मोबाईल, 02 चैन पीली धातु, 2,000 रूपये सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अभियुक्तों के तीन अन्य साथी मौके से अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. लाला उर्फ प्रेमचन्द पुत्र हरी सिंह निवासी ग्राम नंगला किड्डा थाना डिबाई बुलन्दशहर।
2. घनश्याम उर्फ पोला पुत्र कांतिप्रसाद निवासी बाघौर थाना डिबाई बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस, 01 छुरा
2- चोरी का एक मोबाईल फोन, 02 चैन पीली धातु, 2,000 रूपये

दोनों गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के चोर है जिनके द्वारा दिनांक 10/11.10.2020 की रात्रि में अपने फरार 03 साथी सिंटू उर्फ बन्टी पुत्र पन्नी सिंह, गौरव पुत्र माधो सिंह, गवेन्द्र सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासीगण बाघौर थाना डिबाई बुलन्दशहर के साथ मिलकर थाना पहासू क्षेत्र के ग्राम अजीजाबाद के पूर्व ग्रामप्रधान शेरपाल सिंह पुत्र स्व0 हजारीलाल के घर से जेवरात व नकदी चोरी की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना पहासू पर मुअसं-328/20 धारा 380 भादवि से पंजीकृत है। इस घटना से संबंधित अभियुक्तों से एक मोबाईल फोन, 02 चैन पीली धातु, 2,000 रूपये बरामद हुए है। अभियुक्तों के फरार तीनों साथियों की गिरफ्तारी के भी सार्थक प्रयास किए जा रहे है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध चोरी आदि अपराधों के निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त लाला उर्फ प्रेमचन्द का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-221/18 धारा 380/411 थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
2- मुअसं-122/19 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
3- मुअसं-328/20 धारा 380 भादवि थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
4- मुअसं-346/20 धारा 147,148,149,307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
5- मुअसं-347/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

<u>अभियुक्त घनश्याम उर्फ पोला का आपराधिक इतिहास</u>-

1- मुअसं-328/20 धारा 380 भादवि थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

2- मुअसं-346/20 धारा 147,148,149,307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

3- मुअसं-348/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पहासू पर मुअसं-346/20 धारा 147,148,149,307 भादवि (पुलिस मुठभेड़), मुअसं-347/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 एवं मुअसं-348/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>स्वाट टीम</u>-

1- उ0नि0 अजय दीप, उ0नि0 धीरज राठी

2- का0 हरेन्द्र सिंह, का0 जितेन्द्र त्यागी, का0 प्रबली तौमर

<u>थाना पहासू पुलिस टीम के नाम</u>-

1- श्री मुकेश कुमार थानाध्यक्ष पहासू

2- उ0नि0 ज्वाला प्रसाद

3- का0 पवन कुमर, का0 संदीप कुमार, का0 बबलू राणा।